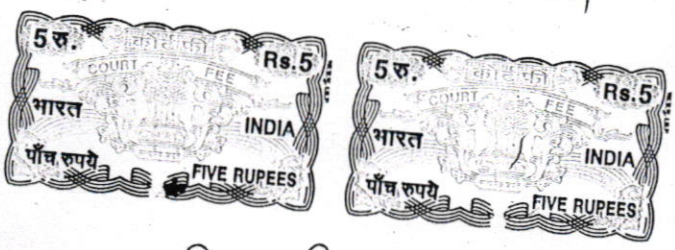

अ

(85)

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निगरानी 2524-PBR-15

## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश भोपाल बैच।

प्रकरण .... निग./I/वर्ष–2014–15 ग्राम बुधनी,जिला–सीहोर,

1. रितलेश आत्मज श्री भैयालाल,आयु–वयस्क,
2. राहुल आत्मज श्री भैयालाल,आयु–वयस्क,
3. आशाबाई पत्नि श्री भैयालाल,आयु–वयस्क,
4. पूनम पुत्री श्री भैयालाल, आयु–वयस्क,
   सभी निवासी–ग्राम माना,वार्ड कमाक–12,
   तहसील– बुदनी,जिला–सीहोर, मध्यप्रदेश। ............. आवेदकगण

**विरूद्ध**

श्री एच. आर. पटेल अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 30-7-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। (हस्ताक्षर) 30-7-15

1. राजेश कुमार आत्मज श्री रामटहल,आयु–वयस्क,
2. कमलकान्त आत्मज श्री मेवालाल, आयु–वयस्क,
3. आरती प्रजापति पत्नि श्री सीताराम, आयु–वयस्क,
4. सीताराम आत्मज श्री रामटहल, आयु–वयस्क,
   सभी निवासी–ग्राम माना, तहसील–बुदनी,
   जिला–सीहोर,मध्यप्रदेश। ............. अनावेदकगण

**मध्यप्रदेश भू.रा.संहिता की धारा 50 के तहत् निगरानी**

माननीय महोदय,

विनम्र निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुदनी, जिला सीहोर, के प्रकरण कमाक 2530/बी–121/वर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2015 द्वारा निगरानीकर्ता के सी.पी.सी आदेश 7 नियम 11 के वैधानिक आवेदन को निरस्त किया गया जिससे पीड़ित होकर यह निगरानी न्याय प्राप्ति हेतु समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

**प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैः–**

यह कि, निगरानीकर्ता पक्ष के संयुक्त स्वामित्व की भूमि खसरा कमाक 82/2/1 रकबा 2.05 एकड़, में से अवैध रूप से अनावेदक पक्ष द्वारा क्रय कर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी वैधानिक प्रावधान के बिना आवेदकगण को सुने स्थगन आदेश

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2524–पीबीआर/2015 जिला–सीहोर

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21–9–16 | आवेदक की ओर से अभिभाषक सुश्री अर्चना तिवारी उपस्थित । अनावेदक क्र0 4 सीताराम स्वयं उपस्थित ।<br>2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायालय तहसीलदार बुदनी, जिला–सीहोर के प्र0क्र0 2530/बी–121/14–15 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप्त में संहिता ही कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई । आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराये, जो निगरानी मेमो में अंकित है।<br>3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आदेश दिनांक 08.06.2015 सहित संलग्नं आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया कि आवेदकगणों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बुदनी के समक्ष सी.पी.सी आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यहीन आधार मानाकर निरस्त किया गया है । प्रकरण का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अनावेदकगण द्वारा विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से विवादित भूमि क्रय की है तथा वे सभी भूमि स्वामी है । पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर पूर्व में अनावेदकगणों के नाम नामांतरण भी हो चुका है । ऐसी स्थिति में यदि आवेदकगण को कोई आपत्ति है तो वह विधिवत अपील करें या फिर विक्रय पत्र शुन्य करने | |

हेतु व्यवहार वाद प्रस्तुत करें ।

4/ इस प्रकरण में जैसा कि आवेदक अभिभाषक ने निगरानी मेमो एवं अपने तर्कों में कहा है कि अनावेदकगणों द्वारा आवेदन विधि के किस प्रावधान के तहत प्रस्तुत किये है इसका कोई उल्लेख नहीं है । ऐसा आवेदन प्रस्तुत होते ही उसी दिन बिना जांच एवं सुनवाई के अधीनस्थ न्यायालय ने स्थंगन का आदेश जारी कर दिया । बाद में पटवारी ने अपनी जांच रिर्पोट में स्पष्ट किया है कि अनावेदक पक्ष का मौके पर आधिपत्य नहीं दिया गया है । मौके पर आवेदन पक्ष का फसल बोकर अधिपत्य है । जबकि स्थंगन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक पक्ष का अधिपत्य मानते हुये उनके अधिपत्य में हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया है । वस्तु स्थिति स्पष्ट होते हुये भी आवेदकगण का सी.पी.सी. आदेश 7 नियम 11 का आवेदन निरस्त कर अधीनस्थ न्यायलय ने विधि की भूल की है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि अनावेदकगण द्वारा अवैध रूप से क्रय की गई भूमि का नक्शे मौके पर कोई बटान अंकित नहीं है मौके पर आवेदन पक्ष की पूरी भूमि एकजाई है । सभी संयुक्त रूप से काश्त कर रहें है। अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकगण के कृषि भूमि में से 900 वर्गफीट से 1800 वर्गफीट के भू–खण्ड के विक्री पत्र को मान्य कर नामांतरण कर दिया और अधिपत्य मान्य किया जा रहा है जो अवैध कॉलोनी निर्मिण की प्रश्रय देना है ।

5/ अतः आलोच्य आदेश दिनांक 08.06.2015 यथावत रखते हुये आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। आवेदकगण चाहे तो समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य